



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-20072024-255611
CG-WB-E-20072024-255611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2734]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946

No. 2734]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(निर्माण विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 18 जुलाई, 2024

का.आ. 2871(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “कालीपहाड़ी-बख्तरनगर 5वीं लाइन” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु पश्चिम बर्धमान जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./316]

पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(EASTERN RAILWAY)

(Construction department)

NOTIFICATION

Kolkata, the 18th July, 2024

S.O. 2871(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Kalipahari-Bakhtarnagar 5th line**” as a **Special Railway Project** for acquisition of land in Paschim Bardhaman District in the State of West Bengal for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/316]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con.